स० अ. 12018/1/2004 - स्था० III

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 5/4/16

सूचना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस मंत्रालय के सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों के भर्ती नियमो को संशोधित कर रहा है । इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अग्रसारित किया गया था जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अनुमोदित कर दिया है । इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है।

इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य अभिकरणों से विचार करने से पूर्व समस्त हितधारकों की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं । ऐसी कोई भी टिप्पणी दिनांक 05.05.16 तक अवर सचिव (प्रशा०), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा नं- 330 'सी' , निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110108 को प्रेषित की जा सकती है तथा यांत्रिक प्रति ak.singh@nic.in पर भेजी जा सकती है।

संलग्नक: यथोपरि।

(ए० के० सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : (011)23061323

सेवा में,

समस्त संबंधितों को ।

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, तारीख..........2015

अधिसूचना

सा. का. नि............. संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व परिवार कल्याण विभाग(कन्सोल आपरेटर) भर्ती नियम, 1983 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर भर्ती नियम, 2015 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम इन नियमों के संलग्न अनुसूची I में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति--

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शाक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
1	2	3	4	5	6	7
सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर	*02(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु + ग्रेड वेतन 4600 रु।	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर प्रायोज्यता/सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथला मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान व इंजीनियरिंग/ सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/बी टेक। वांछनीय:- एसएएस/एसपीएसएस/एसक्यूएल सर्वर/ओरेकल अथवा किसी आरडीएमएस में प्रशिक्षण लिया हो। टिप्पण : अन्यथा अर्हता प्राप्त प्रत्याशियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधीन अर्हता शिथिल की जा सकेगी

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
8	9	10
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता:- नहीं	सीधी भर्ती और प्रोन्नती के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी) पर और न होने पर सीधी भर्ती से

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति:
तकनीकी सहायक/डाटा प्रविष्टि प्रचालक समूह 'ख' वेतन बैंड-1(रु.5200-20200)+ वेतन ग्रेड-2800/-रु. ग्रेड में 11 वर्ष की नियमित सेवा और एसएएस/एसपीएसएस/एसअयूएल सर्वर/ओरेकल अथवा किसी आरडीएमएस में 8-10 सप्ताह का सफलतापूर्वक कंप्यूटर प्रशिक्षण पूरा किया हो। टिप्पणी-1 अधिकारी द्वारा संबंधित ग्रेड/पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार की जाएगी बशर्ते कि संबंधित ग्रेड/पद में परस्पर वरिष्ठता बनाए रखी जाए। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01.01.2006 से पूर्व छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना के लागू होने की तारीख को अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूपी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। **प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी):** केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ अर्ध सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधिकारी: (i) (क)मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; अथवा (ii) नियुक्ति के उपरांत वेतन बैंड-2(रु.9300-34800)+ वेतन ग्रेड-4200/-रु. ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो अथवा मूल संवर्ग/विभाग में सदृश पदधारी; अथवा

(iii) नियुक्ति के उपरांत वेतन बैंड-1(रु.5200-20200)+ वेतन ग्रेड-2800/-रु. ग्रेड में 11 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो अथवा मूल संवर्ग/विभाग में सदृश पदधारी; और

ख. सीधी भर्ती के लिए कालम 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01.01.2006 से पूर्व छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना के लागू होने की तारीख को अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूपी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां एक कॉमन ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का आमेलन किया गया हो और जहां इसका लाभ केवल उस/उन पद (पदों) को दिया जाएगा जहां ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

टिप्पणी-2 फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाईन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे।

टिप्पणी-3 केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)

(प्रोन्नति/पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टिकरण समिति: (i) उप सचिव/निदेशक(प्रशा.) -अध्यक्ष (ii) अवर सचिव(प्रशा.) -सदस्य (iii)अवर सचिव (आरसीएच) -सदस्य (iv) उप-निदेशक (सांख्यिकी) - सदस्य	सीधी भर्ती से और प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति करते समय आयोग से परामर्श आवश्यक है

(फा.सं.ए-12018/01/2004.स्था.।।।)

(ए.के.सिंह)
अवर सचिव भारत सरकार
फोन नं.011-23061323

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
माया पुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली